कार्यालय- जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

सीधी भर्ती हेतु संशोधित विज्ञापन

विज्ञापन क्रमाँक 1712 /भर्ती समिति/2023, रायगढ़, दिनांक 03/06/2023

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि -	24/06/2023 संध्या-05:00 बजे

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) स्थापना के अंतर्गत रिक्त स्टेनोग्राफर(हिन्दी/अंग्रेजी), सहायक ग्रेड– 03 (साक्ष्य लेखक/सहायक अभिलेखापाल, सहायक प्रतिलिपिकार,आदेशिका लेखक/जुनियर नायब नाजिर/सेल अमीन) तथा स्टेनोग्राफर (हिन्दी–संविदा), सहायक ग्रेड–03 (संविदा) एवं वाहन चालक/भृत्य/दफ्तरी कम फर्राश, भृत्य (संविदा) एवं आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर पर) वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर) के निम्न पदों पर अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों और भारत सरकार द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के अभ्यार्थियों से निर्धारित प्रारुप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैः–

रिक्त पदों का विवरण

क्र०	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित पद				आरक्षित पद											
							अन्य पिछड़ा वर्ग				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति			
			मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू०पू०सै०	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू०पू०सै०	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू०पू०सै०	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू०पू०सै०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
तृतीय श्रेणी पद																		
1	स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी)	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
2	स्टेनोग्राफर (हिन्दी)	8	3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-
3	स्टेनोग्राफर (हिन्दी) (संविदा)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	सहायक ग्रेड-3	49	12	5	-	1	4	2	1		5	2	-	-	10	5	1	1
5	सहायक ग्रेड-3 (संविदा)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग	61	18	5	-	1	5	2	1	-	6	2	-	-	14	5	1	1
चतुर्थ श्रेणी पद																		
6	वाहन चालक	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	भृत्य / दफ्तरी कम फर्राश	31	7	3	1	1	4	1	-	-	3	1	-	-	6	3	-	1
8	भृत्य (संविदा)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग	33	9	3	1	1	4	1	-	-	3	1	-	-	6	3	-	1
आकस्मिक निधि (कलेक्टर दर) पर वेतन पाने वाले कर्मचारी																		
9	वाटरमेन-चौकीदार-स्वीपर-	11	3	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	3	1	-	-
	योग	11	3	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	3	1	-	-

महत्वपूर्ण टीप –

1– पदों की संख्या में किसी भी समय कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है ।

2– जिस श्रेणी के उम्मीदवारों में महिला, दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिक के पद आरक्षित है, यदि उक्त पद पर उसी श्रेणी के योग्य उम्मीदवार नहीं पाए जाते हैं तो उस श्रेणी के मुक्त पदों से वरीयता के आधार पर चयन किया जाएगा ।

3– अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए आरक्षित है, अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के प्राप्त आवेदन अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत विचारित किए जाएंगे ।

4– महिलाओं के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिला अभ्यार्थियों के लिए लागू है ।

5– भर्ती कार्यवाही आरक्षण एवं रोस्टर के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस. एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 में पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन होगा ।

भर्ती की पात्रता एवं शर्ते

(1) **स्टेनोग्राफर हिन्दी के पद के लिये -**

अ– वेतनमान – छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत मेट्रिक्स लेवल 07 (रु० 28700–91300)

ब– शैक्षणिक योग्यता –

I. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण ।

II. छत्तीसगढ़ या मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र एवं अभ्यर्थी की कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग की गति 5,000 की–डिप्रेशन (Key depression) प्रति घंटा होनी चाहिए। **(गति के संबंध में कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी)।**

III. किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (DCA) के साथ लिब्रे ऑफिस/एम०एस०वर्ड तथा इंटरनेट/कम्प्यूटर का न्यूनतम ज्ञान ।

(2) **स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के पद के लिये -**

अ- वेतनमान - छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत मेट्रिक्स लेवल 07 (रु० 28700-91300)

ब- शैक्षणिक योग्यता -

I. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण ।

II. छत्तीसगढ़ या मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र एवं अंग्रेजी कम्प्यूटर टायपिंग में 5,000/- (Key) –डिप्रेशन (Key depression) प्रति घंटा होनी चाहिए। **(गति के संबंध में कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी)।**

III. किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (DCA) के साथ लिब्रे ऑफिस/एम०एस०वर्ड तथा इंटरनेट/कम्प्यूटर का न्यूनतम ज्ञान ।

(3) **सहायक ग्रेड-03**

(साक्ष्य लेखक/सहायक अभिलेखापाल, आदेशिका लेखक/जुनियर नायब नाजिर/सेल अमीन) के पद के लिये

अ– वेतनमान – छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत मेट्रिक्स लेवल 04 (रु० 19500–62000)

ब– शैक्षणिक योग्यता –

I. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण ।

II. किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (DCA) के साथ लिब्रे ऑफिस/एम०एस०वर्ड तथा इंटरनेट/कम्प्यूटर का न्यूनतम ज्ञान ।

III. अभ्यर्थी की कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग की गति 5,000 की–डिप्रेशन (Key depression) प्रति घंटा होनी चाहिए। **(गति के संबंध में कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी)।**

(4) **वाहन चालक के पद के लिये** -

अ– वेतनमान – छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत मेट्रिक्स लेवल 04 (रु० 19500–62000)

ब– शैक्षणिक योग्यता – किसी मान्यता प्राप्त संस्था बोर्ड से पूर्व माध्यमिक शाला परीक्षा (कक्षा आठवीं) उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र ।

स– हल्का मोटरयान का वैध अनुज्ञप्तिधारी (जीवित लाईसेंस प्रमाण पत्र)

(5) **भृत्य के पद के लिये** -

अ– वेतनमान–छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत मेट्रिक्स लेवल 01 (रु० 15600–49400)

ब– शैक्षणिक योग्यता– कक्षा पांचवी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ।

नोट – ड्राईवर, कुक, माली इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई एवं प्लंबर के कार्य के अनुभव प्राप्त उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जायेगी, जिन्होंने अनुभव के संबंध में अधिकृत प्राधिकारी/संस्था का प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया हो, लेकिन यदि प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने पर ऐसे अभ्यर्थी की सेवा तत्काल बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जावेगी एवं उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी।

(6) **स्टेनोग्राफर हिन्दी(संविदा)** कोर्ट मैनेजर स्टाफ हेतु **पद के लिये** -

अ- वेतनमान - मासिक संविदा वेतन रु० 10,000/- मात्र

ब- शैक्षणिक योग्यता -

I. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण ।

II. छत्तीसगढ़ या मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र एवं अभ्यर्थी की कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग की गति 5,000 की–डिप्रेशन (Key depression) प्रति घंटा होनी चाहिए। **(गति के संबंध में कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी)।**

III. किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (DCA) के साथ लिब्रे ऑफिस/एम०एस०वर्ड तथा इंटरनेट/कम्प्यूटर का न्यूनतम ज्ञान ।

(7) **सहायक ग्रेड-03 (संविदा)** कोर्ट मैनेजर स्टाफ हेतु **पद के लिये -**

अ- वेतनमान - मासिक संविदा वेतन रु० 9,000/- मात्र

ब- शैक्षणिक योग्यता -

I. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण ।

II. किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (DCA) के साथ लिब्रे ऑफिस/एम०एस०वर्ड तथा इंटरनेट/कम्प्यूटर का न्यूनतम ज्ञान ।

III. हिन्दी कम्प्यूटर टायपिंग में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिये । **(गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी ।)**

(8) **भृत्य (संविदा) कोर्ट मैनेजर स्टाफ हेतु पद के लिये–**

अ– वेतनमान – मासिक संविदा वेतन रु० 7,000/– मात्र

ब– शैक्षणिक योग्यता – कक्षा पांचवी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ।

नोट – ड्राईवर, कुक, माली इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई एवं प्लंबर के कार्य के अनुभव प्राप्त उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जायेगी, जिन्होंने अनुभव के संबंध में अधिकृत प्राधिकारी/संस्था का प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया हो, लेकिन यदि प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने पर ऐसे अभ्यर्थी की सेवा तत्काल बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जावेगी एवं उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी।

(9) **आकस्मिकता निधि** (कलेक्टर दर पर) वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर) पद के लिये–

अ– वेतनमान – कलेक्टर रायगढ़ द्वारा निर्धारित दर पर ।

ब– शैक्षणिक योग्यता – कक्षा पांचवी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ।

नोट – आवेदित पद से संबंधित कार्य/ ड्राईवर, कुक, माली इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई एवं प्लंबर के कार्य के अनुभव प्राप्त उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जायेगी, जिन्होंने अनुभव के संबंध में अधिकृत प्राधिकारी/संस्था का प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया हो, लेकिन यदि प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने पर ऐसे अभ्यर्थी की सेवा तत्काल बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जावेगी एवं उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी।

आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्ते

(1) रोजगार कार्यालय में अभ्यर्थियों का पंजीयन जीवित हो (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी)

(2) (अ) कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

(ब) कोई पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो, और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसके पहले एक पत्नी जीवित हो, नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

(3) प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी पात्र होगें, जिनकी आयु दिनांक 01–01–2023 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परंतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थी के लिये उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), महिला इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है, वह छूट यथावत लागू रहेगी, तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी । छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्यों के आवेदकों के लिये अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी । आयु संबंधी प्रमाण के लिए हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा के प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि का उल्लेख हो, मान्य होगा । जो अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते है, उन्हें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

(4) **उच्चतम आयु सीमा में छूट** –

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी –

(4) (एक)(1)– यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है तो आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक छूट दी जावेगी ।

(4) (एक)(2)– यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–7–25–93/1 आ०प्र० दिनांक 20–01–1994 के अंतर्गत आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जावेगी अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं होना चाहिए ।

(4) (एक)(3)– छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कंटीन्जेसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/ मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष तक रहेगी, यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी ।

(4) (एक)(4)– ऐसे अभ्यर्थी जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि भले ही वह अवधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा परंतु उसके परिणाम स्वरुप अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण – छटनी किए गए शासकीय सेवक से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीकृत कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया है ।

(4) (एक)(5)– ऐसे अभ्यर्थी को जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा, किन्तु उसके परिणाम स्वरुप जो योग निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(4) (एक)(6)– महिलाओं के आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष से शिथलनीय होगी, जो कि उसके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी ।

(4) (एक)(7)– सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–1–2/2002/1/3 दिनांक 02–06–2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जावेगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रुप में सेवा की है, इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि 1 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी । जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है । (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे ।

(4) (एक)(8)– स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वॉलंटरी होमगार्ड) नगर सेवा के नाम कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 8 वर्ष की

सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जावेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(4) (एक)(9)– विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाअ ो के लिए उच्चतम आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट रहेगी ।

(4) (दो)(1)– आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण विभाग की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के संवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के क्रमांक सी3/10/85/ 3/1 दिनांक 29–06–1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु की सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी ।

(4) (दो)(2)– विक्रम पुरस्कार सहित राजीव पांडे पुरस्कार, गुंडूधर सम्मान, महाराजा प्रवीण चंद भंजदेव सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–19–2/2005/1–3 दिनांक 01–12–2006 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी ।

(4) (दो)(3)– उत्कर्ष खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–6–10/2004/1–9 दिनांक 06 जुलाई 2010 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी ।

टीप – (1)बिंदु क्रमांक 4 (एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी ।

(2)बिंदु क्रमांक 4 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरुप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्य/योजनाओ के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूटों का आधार रखता है, तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए छूट मिलेगी । यह छूट बिंदू क्रमांक (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी ।

उदाहरण – यदि कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा–वर्ग, विक्रम पुरस्कार प्राप्त धारक हो तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य–पिछड़ा–वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक जानकारी, विक्रम पुरस्कार के आधार पर 5 वर्ष की छूट और दी जावेगी, अंतरजातीय विवाह के लिए निर्धारित छूट नहीं दी जावेगी । अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयु सीमा 5 वर्ष की छूट अधिकतम आयु की सीमा में छूट का लाभ दिया जा सकेगा, अतः विक्रम पुरस्कार अथवा अंतरजातीय विवाह के निर्धारित आयु की छूट नहीं दी जावेगी ।

(5) यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी, कि वह आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तो को पूरा करते हैं, अतः आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हताओं की सामान्य शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे । परीक्षा में सम्मिलित किए जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि, अभ्यर्थी को अर्हत मान लिया गया है । चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्हत पाए जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी/ चयन समाप्त की जाएगी । नियुक्ति पश्चात जांच में किसी भी समय अनर्हत पाए जाने पर उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी ।

(6) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है । मध्यप्रदेश सहित अन्य प्रदेश के मूल निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रुप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए विज्ञापित पद के विरुद्ध ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की तुलना में विचार किए जाएंगे, आरक्षित पद के विरुद्ध नहीं । महिलाओं के लिये आरक्षित पदों पर केवल छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थी को ही विचारित किया जावेगा ।

(7) आरक्षित पद के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के पश्चात कार्यभार ग्रहण करते समय राज्य शासन के ज्ञापन दिनांक 29-06-2013 में दिये गये प्रारुप के अनुसार जाति के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका चयन/नियुक्ति निरस्त किया जावेगा ।

(8) महिलाओं नियमानुसार होरिजोंटल आरक्षण दिया जावेगा । लेकिन किसी भी प्रवर्ग में महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते है तो ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे ।

(9) यदि अभ्यर्थी कोई अन्य छूट आयु के संबंध में लेना चाहता है, तो राज्य सरकार के आयु सीमा के निर्देशों का उल्लेख एवं नियम बताते हुए दस्तावेज संलग्न कर छूट प्राप्त कर सकता है ।

(10) चयनित उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर के वित्त निर्देश क्रमांक 372/260/वि/नि/चार/2020 नया रायपुर अटल नगर दिनांक 29/07/2020 एवं सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 28 जुलाई 2020 की अधिसूचना के आधार पर चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी एवं उक्त परिवीक्षाधीन अवधि पर नियुक्त सेवकों को निम्नानुसार स्टाईपेंड देय होगा ।

प्रथम वर्ष – पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 %

द्वितीय वर्ष – पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 %

तृतीय वर्ष – पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 %

किन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टाईपेंड के साथ-साथ अन्य भत्ते, कार्यरत अन्य शासकीय कर्मियों की तरह प्राप्त होगें । परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण न होने पर उसे आगे केवल एक वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकेगा । इसके पश्चात भी यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के द्वारा अपनी परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं किया गया तो उनकी सेवाएं बिना कोई कारण बतायें समाप्त की जा सकेंगी ।

(11) जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जावेगी ।

(12) जिन अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र समय अवधि में कार्यालय में प्राप्त होगा, उन आवेदन पत्रों की भर्ती कमेटी/ सब कमेटी द्वारा निर्धारित की गयी प्रक्रिया के अनुसार छटाई के पश्चात आवेदकों को रोल नंबर आबंटित

किया जावेगा । आबंटित रोल नंबर, नाम, पिता/पति का नाम एवं पता सहित सूची, परीक्षा की तिथि, समय एवं स्थान की जानकारी जिला एवं सत्र न्यायालय, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) की वेबसाइट **https://districts.ecourts.gov.in/raigarh** पर अपलोड की जाएगी तथा अपलोड किए जाने की सूचना स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से दी जावेगी । जिला न्यायालय रायगढ़ के सूचना बोर्ड पर भी योग्य उम्मीदवारों की सूची चस्पा की जाएगी तथा वेबसाइट में भी दी जावेगी । उम्मीदवार वेबसाईट से अपना रोल नंबर डाउनलोड कर सकेंगे । प्राप्त आवेदनपत्रों की छंटाई (Short-listing) की प्रक्रिया एवं मापदण्ड भर्ती कमेटी/सब कमेटी द्वारा निर्णित किया जावेगा, जो अंतिम होगा ।

(13) यदि किसी कारण से अभ्यर्थी को परीक्षा की सूचना विलंब से प्राप्त होती है तो उसके लिए कार्यालय की जिम्मेदारी नहीं रहेगी । इस संबंध में अभ्यर्थी स्वयं सचेत रहें और उक्त वेबसाईट का समय-समय पर अवलोकन करते रहें ।

(14) डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्रों के निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने या नहीं प्राप्त होने की जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी ।

(15) बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

(16) लिखित एवं कौशल परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित रहना होगा, उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा ।

(17) अभ्यर्थीयों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा (जो भी लागू हो) में शामिल करने हेतु आवेदनों की शार्ट लिस्टीगं की जावेगी, जिसका मापदण्ड नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित भर्ती कमेटी/ सब कमेटी तय करेगी ।

(18) अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में कौशल परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेंगी ।

आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

1- आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारुप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे । पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 24/06/2023 की संध्या 05:00 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रुप से "आवेदित पद के नाम के पदो पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र" लिखा हो । जिसे कार्यालय , जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ (छत्तीसगढ़) पिन कोड नंबर 496001 के पते पर परीक्षा सेल अनुभाग के नाम से रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट/कोरियर द्वारा अंतिम तिथि के पूर्व भेजे जा सकेंगे अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा । व्यक्तिगत रुप से कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जावेंगे । दिनांक 24/06/2023 की संध्या 05:00 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा । आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास आदि से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वयं अभिप्रमाणित (Self Attested) प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा । विज्ञापन व आवेदन पत्र के प्रारुप की प्रति जिला एवं सत्र न्यायालय, रायगढ़ की वेबसाईट **https://districts.ecourts.gov.**

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार

in/raigarh से डाउनलोड की जा सकती है । निर्धारित प्रारुप से भिन्न प्रारुप में प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किये जावेंगे।

2– जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई–स्कूल/हायर–सेकेण्डरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें ।

3– ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय एवं अशासकीय संस्था में सेवारत है, उन्हें अपने नियुक्ति विभाग प्रमुख/ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा । यदि अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं हुआ तो उनका चयन नहीं किया जा सकेगा ।

4– अभ्यर्थी, आवेदन पत्र प्रेषित करने के पूर्व आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना सुनिश्चित कर लेवें अन्यथा बाद में आवेदन पत्र से भिन्न प्राप्त दस्तावेजों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा, साथ ही इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा ।

5– प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में अपने समस्त शैक्षणिक, तकनीकी एवं व्यवसायिक योग्यता की स्पष्ट और संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे तथा इस आशय का घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेंगे । आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात किसी भी समय अभ्यर्थी की ओर से उच्च शैक्षणिक, तकनीकी अथवा व्यवसायिक योग्यता घोषित नहीं किया जा सकेगा । अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक, तकनीकी एवं व्यवसायिक योग्यता के संबंध में दी गई जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पायी जाती है तो चयन प्रक्रिया के किसी भी प्रक्रम पर अथवा नियुक्ति होने की स्थिति में नियुक्ति किसी भी समय पर निरस्त/समाप्त की जा सकेगी, साथ ही संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी । अभ्यर्थी की नियुक्ति के पश्चात उक्त तथ्य के ज्ञात होने पर अभ्यर्थी के ऐसे कृत्य को गंभीर कदाचरण माना जावेगा तथा केवल इसी आधार पर ही उसे बिना जांच के सेवा से पृथक किया जा सकेगा ।

6– प्रत्येक अभ्यर्थी को चाहिये कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदनपत्र में वांछित सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें, यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी । त्रुटि अथवा अपूर्णता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र, चयन की किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा, तथा इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा ।

7– आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूर्ण नाम एवं पता लिखे हुए दो लिफाफे पर रु 5–5 (पांच–पांच रुपये) का टिकट चस्पा करते हुए आवश्यक रुप से संलग्न करें, यदि अभ्यर्थी द्वारा टिकट चस्पा किया हुआ लिफाफा संलग्न नहीं किया जाता तो परीक्षा के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं होने की जिम्मेदारी कार्यालय की नहीं होगी ।

8– अभ्यर्थी यदि अंग्रेजी/हिन्दी स्टेनोग्राफर एवं सहायक ग्रेड–3 एवं स्टेनोग्राफर (हिन्दी संविदा), सहायक ग्रेड–3 (संविदा) के सभी या एक से अधिक पदों के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहता है, तो उसे

प्रत्येक पद हेतु पृथक–पृथक निर्धारित प्रारुप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा एक पद के लिए केवल एक ही आवेदन स्वीकार किया जावेगा ।

9– **विज्ञापन प्रकाशन तिथि के पूर्व प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।**

10– लिखित परीक्षा पश्चात अर्हताधारी अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए उपस्थित होने हेतु पृथक सूचना दी जावेगी । जिन उपयुक्त अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा तिथि के पूर्व तक उपस्थित होने की सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो वे जिला न्यायालय रायगढ़ की वेबसाइट **https://districts.ecourts.gov.in/raigarh** से अपना प्रवेश पत्र (Admit Card) डाउनलोड कर पहचान पत्र (ID Proof) यथा ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर आईडी/आधार कार्ड/पैन कार्ड/ स्मार्ट कार्ड सहित उपस्थित होगें । यदि उनकी उम्मीदवारी सही पाई गई तो कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जा सकेगी ।

चयन प्रक्रिया

स्टेनोग्राफर (हिन्दी/अंग्रेजी) एवं सहायक ग्रेड–तीन (साक्ष्य लेखक/सहायक अभिलेखापाल/ आदेशिका लेखक/जुनियर नायब नाजिर/सेल अमीन) एवं स्टेनोग्राफर (हिन्दी–संविदा), सहायक ग्रेड–03 (संविदा) के रिक्त पदों हेतु –

1– उपरोक्त पदों के चयन हेतु एक स्वतंत्र लिखित परीक्षा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ (छत्तीसगढ़) द्वारा गठित भर्ती कमेटी या सब कमेटी द्वारा आयोजित की जा सकेगी। लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, सामान्य गणित, सामान्य मानसिक योग्यता के संबंध में वस्तुनिष्ट प्रकार के 50 प्रश्न पूछे जावेंगे, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्त पदों के 15 गुना तक अभ्यर्थी कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाएंगे । लिखित परीक्षा में प्राविण्य सूची में अंतिम क्रमांक पर एक समान अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थीयों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा । **केवल कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको के** आधार पर प्राविण्य सूची तैयार की जाएगी और उक्त सूची के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ (छत्तीसगढ़) के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा । उपरोक्त पदों पर चयनित उम्मीदवार की प्रतिक्षा सूची जारी की जावेगी जो अधिकतम एक वर्ष के लिये वैध होगी यदि चयनित अभ्यर्थी, चयनित पद का कार्यभार ग्रहण करने के एक वर्ष् के भीतर पद से त्यागपत्र देता है या उसे पदमुक्त कर दिया जाता है, मृत्यु या अन्य कारणों से उक्त् पद रिक्त हो जाता तो उक्त पद को रिक्त मानते हुए प्रतिक्षा सूची में उल्लेखित अभ्यर्थी को उक्त पद हेतु कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जा सकेगा।

2– सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर का पत्र क्रमांक 1269/23 मु०म०नि०/2014/1–7 दिनांक 23/08/2014 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दी जावेगी ।

3– समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जाएगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उसे प्राथमिकता प्रदान की जाएगी, जन्मतिथि भी सामान होने पर प्रथम भाग लिखित परीक्षा, (सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान) में अधिक अंक पाने वाले उम्मीदवार को

वरिष्ठता दी जावेगी । सर्वप्रथम अंतिम चयन सूची/ प्रतीक्षा सूची (Provisional List) तैयार की जावेगी, सूची का प्रकाशन जिला न्यायालय, रायगढ़ की वेबसाईट एवं कार्यालय के सूचना पटल पर किया जावेगा । चयनित उम्मीदवार के प्रमाण पत्रों के संबंध में यदि किसी को दावा/आपत्ति हो तो चयन सूची के प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेगा । उक्त समयावधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त न होने की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि किसी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं है ।

4– चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) को होगा ।

5– चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । मूल प्रति के अभाव में उनका चयन निरस्त कर दिया जावेगा ।

6– चयनित उम्मीदवार को इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण वर्तमान में लंबित नहीं है तथा पूर्व में उसे किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध नहीं किया गया है । जिला चिकित्सालय रायगढ़ के चिकित्सा बोर्ड के स्वास्थ्य (Fitness) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा तथा आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवार के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान छत्तीसगढ़ रायपुर से कराए जाने पर विपरीत प्राप्त होने पर सेवा से पृथक किया जा सकेगा । कार्यालय द्वारा चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति उपरांत उसका पुलिस वेरिफिकेशन भी कराया जावेगा, आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी ।

7– नियुक्ति, आरक्षण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा रीट पिटीशन क्रमांक (सी) 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में पारित होने वाला अंतिम आदेश/ निर्णय के अध्यधीन किया जावेगा ।

8– चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी ।

9– चयन प्रक्रिया के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

10– चयन उपरांत कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी साथ ही संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

11– चुने गए अभ्यर्थी की नियुक्ति सिविल जिला रायगढ़ के अंतर्गत किसी भी न्यायालय अथवा अनुभाग में की जा सकेगी तथा नियुक्ति स्थल पर निवास करना आवश्यक होगा ।

12– उपरोक्त विज्ञापन में दर्शित रिक्त पदों की संख्या किसी भी समय बढ़ाया या कम किया जा सकेगा ।

वाहन चालक, भृत्य एवं आकस्मिकता निधि के पद हेतु चयन प्रक्रियाः– कौशल एवं शारारिक परीक्षण

1– वाहन चालक, भृत्य एवं आकस्मिकता निधि के पद के चयन हेतु कौशल परीक्षा जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ (छत्तीसगढ़) द्वारा गठित भर्ती कमेटी या सब कमेटी द्वारा आयोजित की जा सकेगी।

2- वाहन चालक, भृत्य व आकस्मिकता निधि के पदो पर चयन हेतु 100 अंको की कौशल परीक्षा आयोजित की जावेगी जिसमें अभ्यर्थियों को शारारिक क्षमता,बौद्धिक क्षमता,आज्ञाकारिता इत्यादि बिन्दुओं पर परखा जायेगा।

3- अभ्यर्थियों के चयन का आधार कौशल परीक्षा के प्राप्तांक रहेगें जिसके आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी। कौशल परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने पर अधिक उम्र के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी। आयु भी समान होने पर कक्षा पांचवी में प्राप्त अंको के आधार पर प्राथमिकता दी जावेगी।

4- मेरिट सूची के अनुसार अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की चयन सूची वर्गवार तैयार की जावेगी। प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जावेगी, जो गोपनीय रखी जावेगी।प्रतीक्षा सूची अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध होगी यदि चयनित अभ्यर्थी, चयनित पद का कार्यभार ग्रहण करने के एक वर्ष के भीतर पद से त्याग पत्र देता है या उसे पद मुक्त किया जाता है या मृत्यु या अन्य कारणों से उक्त पद रिक्त हो जाता है तो उक्त पद को रिक्त मानते हुए गोपनीय प्रतीक्षा सूची से उल्लेखित अभ्यर्थी को उक्त पद हेतु कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जा सकेगा।

5- अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर छटनी की प्रक्रिया चयन समिति के द्वारा निर्धारित की जावेगी जो भृत्य के न्यूनतम योग्यता कक्षा पांचवी में प्राप्त अंको/ग्रेड के आधार पर या अन्य किसी आधार पर भी निर्धारित की जा सकती है। यह भी निधारिंत किया जा सकता है कि साक्षात्कार हेतु कक्षा पांचवी के अंको के आधार पर निर्धारित मेरिट सूची में से रिक्त पदो के कितने गुणा अभ्यर्थियों को आमंत्रित करना है।

नियुक्ति हेतु चयन विधि

(1) स्टेनोग्राफर (हिन्दी/अंग्रेजी) एवं सहायक ग्रेड-तीन (साक्ष्य लेखक/सहायक अभिलेखापाल,आदेशिका लेखक/जुनियर नायब नाजिर/सेल अमीन) एवं स्टेनोग्राफर (हिन्दी-संविदा) सहायक ग्रेड-3(संविदा) के पद हेतु-

प्रथम भाग लिखित परीक्षा

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) द्वारा गठित भर्ती कमेटी या सब कमेटी द्वारा एक लिखित स्वतंत्र प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 50 अंको का एक प्रश्न पत्र होगा जिसके सभी 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का एक-एक अंक होगा । प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिये एक उत्तर पुस्तिका होगी, जिसमें चार विकल्प चार गोले के रुप में दिये जावेंगे, सही उत्तर के विकल्प वाले गोले को नीली स्याही के पेन से पूर्णतः भर का चिन्हित करना होगा । उक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित एवं समसामयिक विषयों के अंतर्गत होंगे, उक्त परीक्षा की अवधि केवल 1 घंटे की होगी ।

द्वितीय भाग कौशल परीक्षा

लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्राविण्यता के क्रम में रिक्त पदों के 15 (पंद्रह) गुना उम्मीदवारों को स्टेनोग्राफर (हिन्दी/अंग्रेजी), सहायक ग्रेड-तीन (साक्ष्य लेखक/सहायक अभिलेखापाल,

आदेशिका लेखक/जुनियर नायब नाजिर/सेल अमीन), स्टेनोग्राफर–हिन्दी (संविदा) तथा सहायक ग्रेड–3 (संविदा) के पद के संबंध में हिंदी/ अंग्रेजी शीघ्रलेखन एवं कम्प्यूटर की कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जावेगा ।

<u>अंग्रेजी स्टेनोग्राफर के पद हेतु –</u>

अंग्रेजी स्टेनोग्राफर के पद हेतु उम्मीदवार को 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से 05 मिनट का अंग्रेजी श्रुतलेख दिया जाएगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 40 मिनट की समय सीमा अवधि में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा । डिक्टेशन/श्रुतलेख की प्रत्येक त्रुटि के लिये 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप् की प्रत्येक अशुद्धि के लिये भी होगा ।

कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (Libreoffice) में Arial/Times New Roman font में ली जावेगी ।

कौशल परीक्षा –50 अंक

<u>हिन्दी स्टेनोग्राफर एवं स्टेनोग्राफर (संविदा) के पद हेतु –</u>

हिन्दी स्टेनोग्राफर के पद हेतु उम्मीदवार को 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से 05 मिनट का हिन्दी श्रुतलेख दिया जाएगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 40 मिनट की समय सीमा अवधि में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप् करना होगा । डिक्टेशन/श्रुतलेख की प्रत्येक त्रुटि के लिये 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप् की प्रत्येक अशुद्धि के लिये भी होगा ।

कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (Libreoffice) में Unicode Font/Kruti dev में ली जावेगी ।

कौशल परीक्षा –50 अंक

<u>सहायक ग्रेड–3 (साक्ष्य लेखक/सहायक अभिलेखापाल/आदेशिका लेखक/जुनियर नायब नाजिर/सेल अमीन) एवं सहायक ग्रेड–3(संविदा) के पद हेतु –</u>

उम्मीदवारों को 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि के लिये 1/2 अंक काटा जावेगा जो हेडिंग बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप् की प्रत्येक अशुद्धि के लिये भी होगा ।

कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (Libreoffice) में Unicode Font/Kruti dev font में ली जावेगी ।

कौशल परीक्षा – 50 अंक

---

(2) **भृत्य (संविदा) पद हेतु अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर, अभ्यर्थियों का चयन निम्नलिखित प्रक्रिया के तहत किया जावेगा –**

भृत्य (संविदा) के पद हेतु –

साक्षात्कार –10 अंक

प्रथम चरण– भृत्य (Peon) के पदों पर चयन हेतु रिक्त पदों की संख्या से 20 गुना तक आवेदन प्राप्त होने पर सभी उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा, किन्तु रिक्त पदों की संख्या से 20 गुना से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों की छंटनी हेतु जो प्रक्रिया अपनाई जावेगी, उसे आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के उपरांत जिला न्यायालय, रायगढ़ की वेबसाईट **https://districts. ecourts.gov. in/raigarh** पर अपलोड कर दी जावेगी । छंटनी की प्रक्रिया भर्ती कमेटी/ सब कमेटी द्वारा निर्धारित की जावेगी, जो भृत्य की न्यूनतम योग्यता कक्षा पांचवी में प्राप्त अंकों के आधार पर या अन्य किसी आधार पर भी निर्धारित की जा सकती है, यह भी निर्धारित किया जा सकता है कि साक्षात्कार हेतु कक्षा पांचवीं के अंकों के आधार पर निर्धारित प्राविण्य सूची में से रिक्त पदों के कितने गुणा अभ्यर्थियों को आमंत्रित करना है ।

आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर पर) वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर) पद हेतु –

साक्षात्कार –10 अंक

प्रथम चरण– आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर पर) वेतन पाने वाले कर्मचारियों के पदों पर चयन हेतु रिक्त पदों की संख्या से 20 गुना तक आवेदन प्राप्त होने पर सभी उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा, किन्तु रिक्त पदों की संख्या से 20 गुना से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों की छंटनी हेतु जो प्रक्रिया अपनाई जावेगी, उसे आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के उपरांत जिला न्यायालय, रायगढ़ की वेबसाईट **https://districts.ecourts.gov. in/raigarh** पर अपलोड कर दी जावेगी । छंटनी की प्रक्रिया भर्ती कमेटी/ सब कमेटी द्वारा निर्धारित की जावेगी, जो आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर पर) वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर) की न्यूनतम योग्यता कक्षा पांचवी में प्राप्त अंकों के आधार पर या अन्य किसी आधार पर भी निर्धारित की जा सकती है, यह भी निर्धारित किया जा सकता है कि साक्षात्कार हेतु कक्षा पांचवीं के अंकों के आधार पर निर्धारित प्राविण्य सूची में से रिक्त पदों के कितने गुणा अभ्यर्थियों को आमंत्रित करना है ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी अभ्यर्थी ने स्टेनोग्राफर (हिन्दी/अंग्रेजी) एवं सहायक ग्रेड–तीन (साक्ष्य लेखक/सहायक अभिलेखापाल, आदेशिका लेखक/जुनियर नायब नाजिर/सेल अमीन) एवं स्टेनोग्राफर (हिन्दी–संविदा), सहायक ग्रेड–03 (संविदा) दोनों या सभी पदों के लिए आवेदन पत्र दिया है तो ऐसे अभ्यर्थी की एक ही बार लिखित परीक्षा तथा कौशल परीक्षा ली जावेगी, जो दोनो या सभी पदों के लिए मान्य होगी, लिखित परीक्षा का अंक कौशल परीक्षा में नहीं जोड़ा जावेगा । कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों

के आधार पर योग्य उम्मीदवार की श्रेणीवार/वर्गवार तथा पृथक से चयन सूची तैयार की जाएगी, परंतु ऐसे अभ्यर्थियों का कोई अधिकार तब तक नहीं होगा जब तक कि नियुक्तिकर्ता अधिकारी की ऐसी जांच के बाद जो आवश्यक समझी जावे, इस बात का समाधान न हो जावे कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से योग्य है ।

चयन प्रक्रिया के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ का निर्णय अंतिम एवं बंधन कारी होगा।

चयन समिति
जिला एवं सत्र न्यायालय
रायगढ़ (छ०ग०)

आवेदन पत्र का प्रारुप

स्टेनोग्राफर (हिन्दी/अंग्रेजी)

सहायक ग्रेड– 03 (साक्ष्य लेखक/सहायक अभिलेखापाल, आदेशिका लेखक/जुनियर नायक नाजिर/सेल अमीन) एवं स्टेनोग्राफर (हिन्दी– संविदा), सहायक ग्रेड–03 (संविदा)

(जिस पद के लिए आवेदन करें उसे चिन्हित करें, प्रत्येक पर के लिये पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत करें)

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित, नवीनतम, पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो नाम एवं दिनांक सहित

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रायगढ़ (छ०ग०)

1. आवेदित पद का नाम ....

2. अभ्यर्थी का पूरा नाम (हिन्दी में)–...

3. अभ्यर्थी का पूरा नाम (In English Capital Letters..

4. लिंग पुरूष –.......... महिला –............ अंकित करें

5.राष्ट्रीयता– ....

6.पिता/पति का नाम ....

7. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता..

....

....

(ब) स्थायी पता (यदि उपरोक्त से भिन्न न हो तो "तदैव" लिखें) ....

....

....

....

8. (अ) जन्मतिथि अंको में...

जन्मतिथि शब्दों में ....

(ब) दिनांक 01/01/2023 को आयु –वर्ष................माह....................दिन......................

9. क्या अभ्यर्थी छ०ग० का मूल निवासी है ? (जो लागू न हो उसे काट दें)– हां/ नहीं

(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें ।)

10. क्या अभ्यर्थी छ०ग० शासन द्वारा छ०ग० के लिये घोषित अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है ? हां/ नहीं

(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें ।)

11. अनुसूचित–जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें – ....

12. क्या अभ्यर्थी दिव्यांग है – हां/नहीं

(यदि हां तो दिव्यांग संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का सत्यापित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें ।)

13. यदि दिव्यांग है तो दिव्यांगता का प्रकार – ....

14. क्या अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक है ? हां/नहीं

(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें ।)

15. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक..

....

16. रोजगार कार्यालय का नाम.. –

17. क्या अभ्यर्थी विवाहित है – हां/नहीं

18. यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि..

19. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता (प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत

20. कार्यानुभव विवरण (प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति यदि कोई हो संलग्न करें)

क्र.	पद का नाम	संस्था का नाम	प्रथम नियुक्ति दिनांक	कुल वर्ष	रिमार्क

21. क्या अभ्यर्थी शासकीय अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत है ? हां/नहीं

(यदि हां तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें ।)

22. यदि अभ्यर्थी का कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित हो
या उसे किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया हो तो
उसका विवरण ....

23. अभ्यर्थी का मोबाईल नंबर...

24. <u>संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची</u>

1. .... **2.** ....
3. .... **4.** ....
5. .... **6.** ....
7. .... **8.** ....

टीप– स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेज मान्य किये जावेंगे ।

बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

घोषणा

मैं एतद द्वारा घोषित करता/करती हूं कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और यदि मिथ्या पाये जाते हैं तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति/चयन निरस्त किये जाने योग्य होगी ।

दिनांक–
स्थान–

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर
नाम एवं पूरा पता

आवेदन पत्र का प्रारूप

वाहन चालक/ भृत्य/ दफ्तरी कम फर्राश/ भृत्य(संविदा) एवं आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर पर) वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर) पद हेतु

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित, नवीनतम, पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो, नाम एवं दिनांक सहित

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रायगढ़ (छ.ग.)

1. आवेदित पद का नाम– ....

2. अभ्यर्थी का पूरा नाम (हिन्दी में)– ....

3. अभ्यर्थी का पूरा नाम (In English Capital Letters)– ....

4. लिंग पुरूष –.......... महिला –............ अंकित करें

5. राष्ट्रीयता– ....

6. पिता/पति का नाम– ....

7. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता– ....

....

....

(ब) स्थायी पता (यदि उपरोक्त से भिन्न न हो "तदैव" लिखें)– ....

....

....

8. (अ) जन्मतिथि अंको में– ....

जन्मतिथि शब्दों में – ....

(ब) दिनांक 01/06/2023 को आयु –वर्ष ....माह– ....दिन – ....

9. क्या अभ्यर्थी छ.ग. का मूल निवासी है ? (जो लागू न हो उसे काट दें)– हां/ नहीं

(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें ।)

10. क्या अभ्यर्थी छ.ग. शासन द्वारा छ०ग० के लिये घोषित अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है ? हां/ नहीं

(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें ।)

11. अनुसूचित–जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें – ....

12. क्या अभ्यर्थी दिव्यांग है – हां/नहीं

(यदि हां तो दिव्यांग संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का सत्यापित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें ।)

13. यदि दिव्यांग है तो दिव्यांगता का प्रकार – ....

14. क्या अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक है ? हां/नहीं

(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें ।)

15. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक–...

....

16. रोजगार कार्यालय का नाम – ....

17. क्या अभ्यर्थी विवाहित है – हां/नहीं

18. यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि– ....

19. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता (प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत

20. कार्यानुभव विवरण (प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति यदि कोई हो संलग्न करें)

क्र.	पद का नाम	संस्था का नाम	प्रथम नियुक्ति दिनांक	कुल वर्ष	रिमार्क

21. क्या अभ्यर्थी शासकीय अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत है ? हां/नहीं

(यदि हां तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें ।)

22. <u>संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची</u> संलग्न/संलग्न नहीं है ।

1. कक्षा 5 वी का प्रमाण पत्र– ....

2. कक्षा 8 वीं का प्रमाण पत्र– ....

3. छ.ग. मूल निवास प्रमाण पत्र– ....

4. छ.ग. का स्थायी जाति प्रमाण पत्र– ....

5. स्वयं का शपथ पत्र– ....

6. रोजगार कार्यालय जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र– ....

7. अन्य –...

टीप– स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेज मान्य किये जावेंगे ।

बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

घोषणा

मैं एतद द्वारा घोषित करता/करती हूं कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और यदि मिथ्या पाये जाते हैं तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति/चयन निरस्त किये जाने योग्य होगी ।

दिनांक–

स्थान–

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

नाम एवं पूरा पता

कार्यालय–जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

प्रवेश–पत्र

लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार

स्टेनोग्राफर (हिन्दी/अंग्रेजी) सहायक ग्रेड–3 पद एवं स्टेनोग्राफर (हिन्दी–संविदा), सहायक ग्रेड–03 (संविदा) पद हेतु

(जिस पद/पदों के लिये आवेदन करें उसे चिन्हित करें)

(कार्यालय द्वारा भरा जावेगा)

1. आवेदन पंजीयन क्रमांक–......................... 2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक –.........................

3. परीक्षा तिथि –......................... 4. परीक्षा का समय –.........................

5. परीक्षा केन्द्र का नाम –.........................

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जावे)

1. आवेदित पद का नाम ....

2. अभ्यर्थी का पूरा नाम ....

3. पिता/पति का नाम ....

4. अभ्यर्थी का डाक का पता पिनकोड सहित–

....
....
....

प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (परीक्षा केन्द्र में)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 45 मिनिट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है ।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है ।
3. परीक्षा में केवल नीली स्याही के पेन का प्रयोग की अनुमति होगी ।
4. परीक्षा के दौरान वीक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा । पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्म्चारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिये अनर्हता मानी जावेगी ।
5. परीक्षार्थी के द्वारा परीक्षा प्रपत्र पर किसी प्रकार का पहचान चिन्ह अंकित किये जाने पर परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका की जांच नहीं की जावेगी ।
6. परीक्षा में किसी प्रकार का वर्जित कागजात, पुस्तक, पेपर, केल्कुलेटर, मोबाईल फोन या इलेक्ट्रानिक डिवाईस रखना वर्जित है ।

कार्यालय–जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

प्रवेश–पत्र

वाहन चालक/ भृत्य/दफ्तरी कम फर्राश/भृत्य(संविदा) एवं आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर पर) वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर) पद हेतु

(कार्यालय द्वारा भरा जावेगा)

1. आवेदन पंजीयन क्रमांक–......................... 2. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक –.........................

3. परीक्षा तिथि –......................... 4. परीक्षा का समय –.........................

5. परीक्षा केन्द्र का नाम –.........................

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जावे)

1. आवेदित पद का नाम ....

2. अभ्यर्थी का पूरा नाम ....

3. पिता/पति का नाम ....

4. अभ्यर्थी का डाक का पता पिनकोड सहित–

....
....
....
....

प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के
हस्ताक्षर एवं सील

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

(परीक्षा केन्द्र में)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 45 मिनिट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है ।
2. परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है ।
3. परीक्षा में केवल नीली स्याही के पेन का प्रयोग की अनुमति होगी ।
4. परीक्षा के दौरान वीक्षक/भर्ती समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा । पर्यवेक्षक/भर्ती समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिये अनर्हता मानी जावेगी ।